आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई.सी.डी.एस. अपील वाद संख्या –119 / 2021

प्रतिमा कुमारी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
17.03.2023	प्रस्तुत अपीलवाद जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, के आदेश ज्ञापांक 1541 / आई0सी0डी0एस0 दिनांक 18.12.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जिस आदेश से जिलाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी ने महिला पर्यवेक्षिका को चयन मुक्त करने का आदेश दिया है। इस (आयुक्त) न्यायालय में दिनांक 27.12.2021 को अपील वाद दायर किया गया एवं दिनांक 4.06.2022 को वाद को अंगीकृत करते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी गई, जिसके आलोक में चयनमुक्त पर्यवेक्षिका श्रीमती प्रतिमा कुमारी द्वारा पुनः दिनांक– 01.07.2022 से योगदान दिया है एवं कार्यरत है। वादी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अपीलार्थी महिला पर्यवेक्षिका के पद पर कार्यरत रहते हुए अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करती आ रही है, एवं उन पर कभी कोई आरोप नहीं लगा। आवेदिका जब बाल विकास परियोजना कार्यालय, कल्याणपुर में पदस्थापित थी तो ग्राम पंचायत राज बड़हरवा महानंद वार्ड सं0–03 में आंगनबाड़ी केन्द्र पर आँगनबाड़ी सेविका नियुक्ति में आवेदिका द्वारा चयन को बाधित	

WEB COPY NOT OFFICIAL

करने का आरोप लगा। उक्त आरोप के लिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी ने अपने ज्ञापांक 1294 दिनांक 05.10.2021 के द्वारा आवेदिका से स्पष्टीकरण मांगा। जिसका जवाब आवेदिका ने निर्धारित समय पर दिया। उक्त विज्ञापन केन्द्र पर सेविका पद के लिए 4 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया। उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र का बाहुल्य वर्ग अनुसूचित जाति का था। दिनांक 27.01.2017 को आम सभा की तिथि निर्धारित की गई। उस दिन आम सभा में सभी सदस्य उपस्थित हुए। आम सभा में कुछ ग्रामीणों द्वारा हंगामा किया गया जिस कारण से आम सभा में उपस्थित चयन समिति के अध्यक्ष तथा ग्रामीणों द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया की आपत्ति निराकरण के उपरांत ही आम सभा किया जाय। इसलिए आम सभा को स्थगित कर दिया गया। आम सभा की अगली तिथि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा दिनांक 03.02.2017 को निर्धारित की गई। दिनांक 03.02.2017 को वादी को एक अन्य पंचायत सिसवासोबा वार्ड सं0–04 में आम सभा करने का निर्देश था। जिस कारण से उक्त केन्द्र पर आम सभा का आयोजन नहीं हुआ। इसके बाद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा दिनांक 31.10.2017 को आम सभा की तिथि निर्धारित किया गया। उस दिन वादी को जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के ज्ञापांक 2035 दिनांक 31.10.2017 के अनुसार केन्द्रों पर होने वाले टेक होम राशन (T.H.R) की तिथि निर्धारित की गई थी। जिसमें महिला पर्यवेक्षिकाओं को केन्द्र का भ्रमण करना होता है तथा जाँच प्रतिवेदन अनिवार्य हो जाता है, इसलिए महिला पर्यवेक्षिका ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आवेदन देकर आम सभा की तिथि में संशोधन करने का अनुरोध किया था। इसलिए आम सभा की तिथि दिनांक 28.12. 2017 को निर्धारित हुआ। जिसमें सभी उपस्थित हुए। उस दिन सभी अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति दिया गया एवं किसी को योग्य नहीं पाया गया। इसलिए दिनांक 28.12.2017 के आम सभा में ग्राम पंचायत राज बड़हरवा महानंद वार्ड सं0–03 में अवस्थित आँगनबाड़ी केन्द्र पर चयन मार्गदर्शिका

WEB COPY NOT OFFICIAL

2016 में दिये गये प्रावधान के अनुसार योग्य अभ्यर्थी नहीं रहने के कारण ग्रामीण जनता एंव चयन समिति के त्रिस्तरीय सदस्यों ने किसी का चयन नहीं किया और आम सभा को स्थगित कर दिया। इस प्रकार अपीलार्थी पर आम सभा को विलंबित करने का आरोप निराधार है। जिलाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बगैर आदेश पारित कर दिया है, जो गलत एवं नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल है।

सरकारी विद्वान अधिवक्ता के अनुसार प्रथम आम सभा 27.01.2017 को प्रारंभ हुआ एवं अंतिम 28.12.2017 को यानि एक आम सभा को करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगा दिया गया। इससे स्पष्ट है कि उन्होने (वादी) ने जानबूझकर चयन प्रक्रिया को बाधित किया है। जिलाधिकारी का आदेश बिल्कूल उचित है।

वादी को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम आम सभा की तिथि दिनांक 27.01.2017 को निर्धारित था। उस दिन एक अभ्यर्थी (निभा कुमारी) जिनका दो जगह मतदाताा सूची में नाम था, का द्वारा दिनांक 25.01.20217 को मतदाता सूची से नाम कटवाने का आवेदन दिया, जिस पर हंगामा हो गया एवं आम सभा स्थगित कर दी गयी। इस बिन्दु पर जॉच का विषय यह हो जाता है कि क्या उन्होने मतदाता सूची से नाम कटवाने का आवेदन चयन मार्गदर्शिका के अनुसार अगले सप्ताह के उसी दिन अर्थात 03.02.2017 को आम सभा की तिथि निर्धारित की गई । जिस दिन वादी को किसी और केन्द्र पर आम सभा करना था जिस कारण आम सभा नहीं हो सकी। उसके बाद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा दिनांक 31.10.2017 को आम सभा की तिथि निर्धारित की गई, जिस दिन जिलाधिकारी के आदेश ज्ञापांक–2035 दिनांक 30.10.2017 से टी.एच.आर. के वितरण की तिथि निर्धारित थी। इस बात

WEB COPY NOT OFFICIAL

की जानकारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को पहले से थी फिर भी उनके द्वारा उक्त तिथि का निर्धारण किया गया। फिर भी वादी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आवेदन देकर आम सभा की तिथि में संशोधन करने का अनुरोध किया।

उल्लेखनीय है कि प्रथम आम सभा दिनांक 27.01.2017 को निर्धारित हुआ उसके बाद चौथा आम सभा की तिथि दिनांक 28.12.2017 को निर्धारित की गई अर्थात इतने लंबे समय के बाद आम सभा की तिथि निर्धारित करने में महिला पर्यवेक्षिका की जिम्मेवारी है या बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की ? यदि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की जिम्मेवारी है तो इस जिम्मेवारी के लिए उन पर कोई कार्रवाई की गयी ? उन्होने लगभग एक वर्ष की अवधि में चार ही आम सभा की तिथि का निर्धारण क्यों किया ? टी.एच.आर. दिवस के दिन या अन्य पंचायत में चयन की तिथि के दिन ही चयन की तिथि क्यों निर्धारित की गया। जिलाधिकारी के आदेश से प्रतीत होता है कि उन्होने इन सभी बिन्दुओ पर विचार किये बगैर अपना आदेश पारित किया है, जिस पर पुनः विचार करना आवश्यक हो जाता है। वादी श्रीमती प्रतिमा कुमारी को अन्य पंचायतों/वार्डो में चयन में कैसी भूमिका रही है, उस पर भी विचार करने के बाद एवं चयन के अतिरिक्त अन्य कार्यों का मूल्यांकन कर मुखर आदेश पारित करना अपेक्षित है। साथ ही यह भी विचारणीय है कि प्रथम आम सभा एवं अंतिम सभा के अत्यधिक विलंब के बाद भी क्या वादी से कारण पृच्छा, चेतावनी दी गई थी ? निम्न न्यायालय के अभिलेख में यह स्पट नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिलाधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए इस निदेश के साथ अभिलेख वापस किया जाता है कि वादी को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान कर उनके द्वारा उठाये गये तथ्यों पर विचार करते हुए यथाशीघ्र नियमानुकूल आदेश पारित करें।

लेखापित एवं संशोधित

WEB COPY NOT OFFICIAL

	आयुक्त आयुक्त	

WEB COPY NOT OFFICIAL